

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या -२२

रांची-2, दिनांक-२५/४/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण (Multi Row with barbed wire fencing)

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : २२१.६१रु०

पंक्ति से पंक्ति की दूरी-३ मी०

स्पेसिंग पौधे से पौधे की दूरी-३ मी०

प्रति कि०मी० पौधों की संख्या-२००० पौधे

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	सामग्री (रु० मे०)	मजदूरी (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
क अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	घेरान कार्य					
क	खूंटा १५५० सं० ९५.०० रु० प्रति खूंटा। खूंटे का आकार १००mm dia (व्यास) एवं ०२ मी० लम्बाई का।	प्रति कि०मी० दोनों तरफ के लिए	०.००	१४७२५०.००	०.००	१४७२५०.००
ख	कंटीला तार 4point 2ply 12swg, १५cm apart ३.७५ मे० टन, ६४.३२ रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से	प्रति कि०मी० दोनों तरफ के लिए	०.००	२४१२००.००	०.००	२४१२००.००
ग	कोलतार (बीटुमीन पेन्ट) १०० ली०। ५६.०१ रु० प्रति ली० की दर से (खूंटों के लिए)	प्रति कि०मी० दोनों तरफ के लिए	०.००	५६०१.००	०.००	५६०१.००
घ	यू-नेल १४० कि० ग्रा०। ७४.३८ रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से	प्रति कि०मी० दोनों तरफ के लिए	०.००	१०४१३.२०	०.००	१०४१३.२०

[Signature]

ड	खूँटा एवं तार की कार्य स्थल तक ढुलाई, खूँटा रंगाई, खूँटा लगाने के लिए गड्ढा खोदना (1'x1'x1'). खूँटा लगाना, 05 कतार तार खीचना एवं यू-नेल लगाना।	प्रति कि0मी0 दोनो तरफ के लिए	1650.00	0.00	365656.50	365656.50
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 45cmx45cmx45cm आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना, @ 0.10 मानव दिवस प्रति गड्ढा	2000 गड्ढा	200.00	0.00	44322.00	44322.00
योग :-			1850.00	404464.20	409978.50	814442.70

ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित @ Rs. 20 प्रति पौधा	2200 पौधा	0.00	44000.00	0.00	44000.00
2	पौधा रोपण	प्रति कि0 मी0	45.00		9972.45	9972.45
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति कि0 मी0	50.00	0.00	11080.50	11080.50
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	120.00	0.00	26593.20	26593.20
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	3150.00	0.00	3150.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	300.00	0.00	300.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार		180.00	0.00	39889.80	39889.80
योग :-			395.00	47450.00	87535.95	134985.95

ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	6205.08	6205.08
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	180.00	0.00	39889.80	39889.80
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	4000.00	886.44	4886.44
योग :-			212.00	5368.00	46981.32	52349.32

घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	0.00	6205.08	6205.08
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	धेरान की मरम्मत (लगभग 10 प्रतिशत खूँटों के बदलाव एवं अन्य सामग्री सहित)	प्रति कि0 मी0	0.00	10000.00	0.00	10000.00

4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति किं मी०	90.00	0.00	19944.90	19944.90
	योग :-		118.00	11368.00	26149.98	37517.98
डॉ	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति किं मी०	28.00	0.00	6205.08	6205.08
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति किं मी०	0.00	1368.00	0.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति किं मी०	90.00	0.00	19944.90	19944.90
4	घेरान को हटाना एवं सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भण्डारण (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति किं मी०	165.00	5000.00	36565.65	41565.65
	योग :-		283.00	6368.00	62715.63	69083.63
	सकल योग :-		2858.00	475018.20	633361.38	1108379.58

- नोट (1) जहाँ पर कम से कम तीन कतार (Row) में सङ्क किनारे वनरोपण किया जायगा, वहीं कंटीले तार से घेरान किया जायेगा।
 (2) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
 (3) घेरान के प्राक्कलन में कोलतार को छोड़ कर शेष सभी सामग्री की मात्रा एवं मानव दिवस की संख्या वनरोपण कार्य दर की पुस्तिका के “सङ्क किनारे वृक्षारोपण –सह-शहरी वानिकी रैखिक वृक्षारोपण” योजना से ली गई है तथा सामग्री का दर भवन निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत एवं दिनांक 01.04.2015 से प्रभागी अनुसूचित दर तालिका से ली गई है।
 (4) खूँटों की दर पश्चिम बंगाल वन विभाग के नए संसूचित दर ₹० 65.00 प्रति तथा मान्य करो तथा परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग आदि सम्मिलित है।
 (5) घेरान में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी खूँटों का क्रय वन विभाग से किया जायगा। वन विभाग से खूँटा उपलब्ध न होने पर अन्य राज्यों के वन विभाग/वन निगम अथवा खुली निविदा के आधार पर खूँटों का क्रय किया जाय।


ह०/-
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-५९० दिनांक-२५/४/१६

प्रतिलिपि- :-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या —२३

रांची—२, दिनांक—२५/४/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ :

445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

221.61

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी० x 2 मी०

प्रजातियाँ—शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकड़	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	प्रति पौधा व्यय (रु० में)	लाभको देय प्रोत्साहन राशि
क्र	प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य)	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य)							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 445 पीट प्रति एकड़ (सरेखन सहित)	एकड़	10.00	2216.10	0.00	2216.10	4.98	2.07
2	झाड़ी घेरान (2.5 X 6 मानव दिवस)	एकड़ @2.5 चैन	15.00	3324.15	62.50	3386.65	7.61	3.81

3	पौधों का क्रय @20 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	20.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10 रु0 प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी।
4	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2216.10	0.00	2216.10	4.98	2.49
5	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2437.71	0.00	2437.71	5.48	2.74
6	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
7	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.57	0.79
	योग—		46.00	10194.06	9662.50	19856.56	44.62	12.31 or Rs. 12.50
ख	द्वितीय वर्ष (संपोषण कार्य)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.25	1385.06	0.00	1385.06	2.98	1.49
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.79	0.39
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
	योग—		6.25	1385.06	1950.45	3335.51	13.77	6.88 or Rs. 7.00
ग	तृतीय वर्ष (संपोषण कार्य)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.25	1385.06	0.00	1385.06	2.98	1.49
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.79	0.39

3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	2.50	554.03	0.00	554.03	1.49	0.75
	योग—		8.75	1939.09	1950.45	3889.53	15.26	7.63 or Rs. 8.00
	सकल योग—		61.00	13518.21	13563.40	27081.61	73.65	27.50

60/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- 591 दिनांक- 25/4/16

प्रतिलिपि- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/4/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या -२४

रांची-२, दिनांक-२५/४/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)(फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 221.61

स्पेसिंग ५ मी. x ५ मी.

प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	प्रति पौधा व्यय (रु० में)	लामुक के देय प्रोत्साहन राशि
क	प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य)	2	3	4	5	6	7	
1	झाड़ी धेरान (2.5 X 6 मानव दिवस)	एकड़ @2.5 चेन	15	3324.15	62.50	3386.65	21.16	10.58
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गडडा बनाना एवं खोदी गई मिटटी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	5761.86	0.00	5761.86	36.01	18.00



3	पौधों का क्रय @50 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	0.00	0.00	8000.00	8000.00	50.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 25 रु0 प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी।
4	वृक्षारोपण	एकड़	24	5318.64	0.00	5318.64	33.24	16.62
5	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77
6	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
7	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
	योग —		69.00	15291.09	9662.50	24953.59	155.95	52.97 or Rs. 53.00
ख	द्वितीय वर्ष (संपोषण कार्य)							
1	दो कोड़नी—निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	5.00	2.50
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
	योग—		4.00	886.44	2400.00	3286.44	20.54	10.27 or Rs. 10.50
ग	तृतीय वर्ष (संपोषण कार्य)							
1	दो कोड़नी—निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77

2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	5.00	2.50
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	2.5	554.03	0.00	554.03	3.46	1.73
	योग		6.5	1440.47	2400.00	3840.47	24.00	12.00
	सकल योग		79.50	17618.00	14462.50	32080.50	200.50	75.50

ह० /-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-592 दिनांक-25/4/16

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/4/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - २५

रांची-2, दिनांक-25/4/66

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं-4/योबजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त स्थायी पौधशाला का पुनरीक्षित कार्य दर तालिका की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली स्थायी पौधशाला का कार्य में ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

स्थायी पौधशाला का पुनरीक्षित कार्य दर तालिका

पौधशाला का नेट क्षेत्रफल : 1 हेक्टेयर स्थायी ब्रेडों की संख्या : 330

मजदुरी प्रति मानव दिवस : 221.51 पॉक्वीवैग पौधों के ब्लेडो की संख्या—70

अंकरण बेडों की संख्या : 20

क्र०	कार्य का विवरण एवं Specifications	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल (रु० में)	अभ्युक्ति
						i ii iii iv v vi vii
1	स्थाई बेडों की कोडाई (40'X 4'X2') एवं मिट्टी, कंपोस्ट, बालू (165 बेड) जौविक खाद डाल कर तैयार करना— (165 बेड)	248	2841.66	54959.28	57800.94	माह जुलाई/अगस्त में ट्रान्सप्लांटिंग हेतु
2	स्थायी बेडों में स्थापित पुराने पौधों को उखाड़ना एवं स्टम्प, राईजोम रूट-शूट बनाना आदि (पचहतर हजार स्टम्प, राईजोम आदि के लिए)	150	0.00	33241.50	33241.50	माह मई-जून में
3	प्रिक आउट एवं ट्रान्सप्लांटिंग; (स्थायी बेडों एवं पॉलीथीन बैग्स में), औसतन प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस	200	0.00	44322.00	44322.00	पूर्व में अंकित दर तालिका में 500 पौधा प्रति मानव दिवस कार्य दर के आधार पर किया गया है।
4	कोडनी-निकौनी एवं पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अप्रैल से जून तक तीन मजदूर प्रति दिन, जुलाई से सितम्बर तक दो व्यक्ति प्रतिदिन एवं अक्टूबर से मार्च तक तीन व्यक्ति प्रतिदिन।	1000	0.00	221610.00	221610.00	

5	रासायनिक खाद, 15 ग्राम प्रति पौधा एवं जैविक खाद 10 ग्राम प्रति पौधा एवं कीटनाशक आदि का क्रय	0	20534.40	0.00	20534.40	स्थायी बेडों एवं पॉलीबैग पौधों के लिये।
6	डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0	45000.00	0.00	45000.00	
7	पॉलीबैग्स तीन बार बेड में बदलना पॉलीथीन शीट (300G) नीचे डालकर	100	2139.00	22161.00	24300.00	
8	पॉलीथीन ट्यूब (8" x 12" x 200 गोज) का क्रय; संख्या—25,000+ 20% extra = 30,000 (Weight 6.00 kg per 1000 tubes)		27603.45	0.00	27603.45	
9	मिट्टी में बालू, गोबर खाद/कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट (900 घन मी०) मिलाना	100	33838.98	22161.00	55999.98	पॉलीथीन बैग्स तथा स्थायी बेडों के लिये
10	पॉलीथीन ट्यूब की भराई तथा बेडों में रखना (75 पोली बैग प्रति मानव दिवस) — 30000 ट्यूब्स, 35 बेडों में	400	0.00	88644.00	88644.00	माह जनवरी से मार्च अंश तक
11	बीज संग्रहण / क्रय	9.5	7099.92	2105.30	9205.21	
12	अकुरण बेडों का रख-रखाव एवं उपयोग सामग्री सहित—20 बेड	20.0	2000.00	4432.20	6432.20	
13	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, छिड़काव	75	3957.15	16620.75	20577.90	
14	सुरक्षा पर व्यय	365	0.00	80887.65	80887.65	
15	विविध व्यय, सूचना पट्ट, स्लोगन बोर्ड, सिंचाई व्यवस्था (जल संग्रहण टैक्स, नाली, पाईप आदि) तथा निरीक्षण पथ का संधारण कच्चा नाली, आदि	30	10000.00	6648.30	16648.30	
16	फुटकर एवं अन्यान्य व्यय, जेनरेटर रूम—भंडार—टूल रूम का रख-रखाव एवं फेसिंग रिपेयर सहित	10	8556.00	2216.10	10772.10	
	योग—	2707.5	163570.56	600009.08	763579.63	

नोट: (1) स्थायी पौधशाला का कार्य पूर्व में स्थापित स्थायी पौधशाला में किया जाएगा।

(2) बीज की बुआई बीजों की उपलब्धता के आधार पर अंकुरण बेडों तथा पॉलीथीन बैग्स में समयानुसार किया जाएगा।

(3) पॉलीथीन बैग्स तथा बेडों में पूर्व से उगाये गये पौधों का कोडनी-निकौनी, पटवन, कीटनाशक का छिड़काव, उर्वरक लगाने आदि का कार्य सतत जारी रहेगा।

(4) स्टम्प प्राप्ति हेतु स्थायी बेडों में शीशम तथा गम्हार के पौधों की ट्रांस्प्लांटिंग 6" x 6" की स्पेसिंग पर तथा सागवान के पौधों की 6" x 9" पर होगी।

(5) 165 स्थायी बेडों से माह मई—जून में स्टम्प आदि प्राप्त कर उन्हें पूर्णतः खाली कर दिया जाएगा, जो अगले कुछ समय तक fallow beds के रूप में रहेंगे। इन्हीं में आगे पुनः 90,000 पौधे लगाये जाएंगे।

(6) अंततः 75,000 रुट-शूट पौधों (स्टम्प/राईजोम आदि) की प्राप्ति हेतु कुल 165 स्थायी बेडों में 90,000 पौधे ट्रांसप्लांट किये जाएंगे। इनमें से एक तिहाई बेडों में सागवान के स्टम्प प्राप्ति हेतु कार्य होगा।

(7) पौधशाला में स्टम्प/राईजोम से सम्बन्धित कुल स्थायी बेडों की संख्या $165+165 = 330$ होगी। इसमें से 165 बेडों में पौधे माह जुलाई-अगस्त से अगले वर्ष के मई-जून तक रहेंगे, जिनसे स्टम्प/राईजोम आदि प्राप्त किये जाएंगे। शेष 165 बेड कुछ समय तक fallow बेड रहेंगे, जिनमें आगे 90,000 पौधे ट्रांसप्लांट किये जाएंगे।

(8) पौधशाला में प्रति वर्ष जो 25000 एक वर्ष पुराने पॉलीबैग पौधे उत्पादित होंगे, उनसे सम्बन्धित 35 बेडों को माह अगस्त - सितम्बर तक पूर्णतया खाली कर देना होगा (पौधों की बिक्री या बनरोपणों में उपयोग द्वारा)। शेष 35 बेडों में जो 30,000 पॉलीबैग्स पौधे होंगे, व वो पौधे होंगे जो एक-दो माह पूर्व ट्रांसप्लांटेड होंगे, तथा जो अगले वर्ष खपत होंगे। इस प्रकार रिक्त हुए 35 बेडों में पुनः जनवरी - मार्च तक 30,000 पॉलीबैग्स की भराई आदि कार्य होगा।

(9) अंकुरण बेडों में माह जुलाई में सनई या ढैंचा के बीजों का छिड़काव किया जाएगा तथा माह सितम्बर में उन्हें उखाड़कर कंपोस्ट पीट में डाला जाएगा। प्राप्त खाद का उपयोग पौधशाला कार्यों में किया जाएगा।

(10) पॉलीबैग्स में फलदार पौधे कटहल, आम, जामुन, इमली, बेल, महुआ, शरीफा, पुत्रंजीवा, सीता आशोक, शोभाकार/फूलदार पौधे, गोल्डमोहर, अमलतास, जरहुल, लैगस्ट्रोमिया इंडिका, बीजा, महोगनी, काजू, करम, कुसुम, चन्दन, सीधा, रुद्राक्ष, शिवलिंगी आदि के पौधे तैयार किये जायेंगे। फलदार लगभग 10,000, फूलदार/शोभाकार लगभग 5000 तथा उक्त में से अन्य प्रजातियों के पौधे तैयार किये जायेंगे।

ह०/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- ५९३ दिनांक- २५/५/१६

प्रतिलिपि- :-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 26

रांची-2, दिनांक- 25/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0) :-

221.61

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल धर्य (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
क.	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3.00	664.83	0.00	664.83	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	झाड़ी रहित	हेठो	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हेठो	7.00	1551.27	0.00	1551.27	
2.3	घनी झाड़ी	हेठो	10.00	2216.10	0.00	2216.10	
3	घेरान कार्य —						
3.1	ट्रैच घेरान — ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	प्रति चेन	25	5540.25	0.00	5540.25	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान

						करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मरीन का कदम प्रयोग न हो।
3.2	मरीन द्वारा ट्रैच खुदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04. 2014 से लागू का आईटम सं 7.1. 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)		2	443.22	1963.79	2407.01
3.3	पत्थर घेरान -ऊपर की चौड़ाई 0. 30 मी., नीचे की चौड़ाई 1.25 मी., उँचाई 1.00 मी.		25	5540.25	0.00	5540.25
3.4	झाड़ी घेरान-	चेन	6.00	1329.66	25.00	1354.66
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0. 3 मी.) 1666 पिट प्रति हेठो (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेठो	16.50	3656.57	0.00	3656.57
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेठो	45	9972.45	0.00	9972.45
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00
ख.	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	21.50	4764.62	0.00	4764.62
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	9196.82	0.00	9196.82
4	ट्रैच के वर्ष पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	443.22	0.00	443.22
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	275.00	60942.75	0.00	60942.75
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो से अधिक)	स्थल	550.00	121885.50	0.00	121885.50
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00
ग.	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	23.00	5097.03	0.00	5097.03
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40

3	पौधों की सुरक्षा (30 हेतु तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
4	पौधों की सुरक्षा (30 हेतु से अधिक)	स्थल	730.00	161775.30	0.00	161775.30	
5	गड्ढा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	221.61	0.00	221.61	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेतु	3.00	664.83	290.00	954.83	
घ.	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेतु	23.00	5097.03	0.00	5097.03	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेतु तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
4	पौधों की सुरक्षा (30 हेतु से अधिक)	स्थल	730.00	161775.30	0.00	161775.30	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेतु	3.00	664.83	290.00	954.83	
ड.	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेतु	23.00	5097.03	0.00	5097.03	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हेतु तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
4	धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	221.61	0.00	221.61	
च.	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेतु तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
घ.	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हेतु तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	

नोट (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं धेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।


हेतु
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-594 दिनांक- 25/4/16

प्रतिलिपि:-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/4/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या —२७

रांची—२, दिनांक—२५/५/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त संस्थानों आदि की भूमि जहाँ पूर्व से घेरान/पुर्ण सुरक्षित किया हो पर वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली संस्थानों आदि की भूमि जहाँ पूर्व से घेरान/पुर्ण सुरक्षित किया हो पर वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— संस्थानों आदि की भूमि जहाँ पूर्व से घेरान/पुर्ण सुरक्षित किया हो पर वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

2. पंक्ति से पंक्ति की दूरी — ३ मी०

स्पेसिंग— पौधे से पौधे की दूरी — ५ मी०

1. मजदूरी दर— रु० २२१.६१

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अग्रिम सह-समापन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस रु० २२१.६१					
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति पौधा	०.१०	२२.१६	०.००	२२.१६
2	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु १० प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज ६ फीट से ८ फीट)	प्रति पौधा	०.००	०.००	७५.००	७५.००
3	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति पौधा	०.१५	३३.२४	२०.००	५३.२४
4	पौधारोपण (DAP-५० ग्राम तथा कीटनाशक ४ ग्राम)	प्रति पौधा	०.१०	२२.१६	२.००	२४.१६

5	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	33.24	4.50	37.74
6	पटवन (रिक्षा/ठेला/अन्य द्वारा)	प्रति पौधा	1.00	221.61	25.00	246.61
7	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	110.81	0.00	110.81
8	साईन-बोर्ड	प्रति पौधा	0.00	0.00	10.00	10.00
	योग		2.00	443.22	136.50	579.72

(B) वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 254.85 (वृद्धि 15%)
वित्तीय वर्ष 2016-17 को आधार मानते हुए

1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	38.23	4.50	42.73
2	पटवन (रिक्षा/ठेला/अन्य द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	127.43	5.00	132.43
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	127.43	0.00	127.43
	योग		1.15	293.08	9.50	302.58

(C) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 293.08 (वृद्धि 15%)
वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए

1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	43.96	4.50	48.46
2	पटवन (रिक्षा/ठेला/अन्य द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	146.54	5.00	151.54
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	146.54	0.00	146.54
	योग		1.15	337.04	9.50	346.54
	कुल योग		4.30	1073.34	155.50	1228.84

नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची


ज्ञापांक-595 दिनांक-25/4/16

प्रतिलिपि :-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विटेशन केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



23/11/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 30

रांची-2, दिनांक- 25/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण अनुसूचित कार्य दर तालिका
(10 हो 0 के लिए)**

मजदूरी : रु 221.61 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर

1000 — साल एवं 600 — उसके सहयोगी (हरें, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, आँवला आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
1	2	3	4	5	6
(A) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य।	3	664.83	0.00	664.83
2	झाड़ी की सफाई।	7	1551.27	0.00	1551.27
3	गड़डा धेरान 6'x4'x4' (उपर की चौड़ाई 1.83 मीटर, नीचे की चौड़ाई 1.22 मीटर, गहराई 1.22 मीटर) / बांस झाड़ी धेरान प्रति हो 5 चेन या 100 मीटर ड्रेसिंग एवं एलाइनमेंट सहित	125	27701.25	0.00	27701.25
4	मृदा कार्य (0.60 मी० x 0.60 मी० x 0.60 मी०)1600 पीट/हेतु	260	57618.60	0.00	57618.60
5	गली प्लगिंग।	10	2216.10	0.00	2216.10
6	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रैंच का निर्माण, कन्टूर ट्रैंचिंग—120, कन्टूर ट्रैंच साईज—5 मी० x 0.3 मी० x 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हटाकर 0.3 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	55	12188.55	0.00	12188.55
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।		0.00	150.00	150.00

8	साईन बोर्ड की स्थापना, मृदा परीक्षण आदि।	1	221.61	300.00	521.61
	योग :-	461	102162.21	450.00	102612.21
(B)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	शोध पौधशाला से वनरोपण स्थल तक पौधों की छुलाई।	30	6648.30	0.00	6648.30
2	वृक्षरोपण।	280	62050.80	0.00	62050.80
3	तीन कोड़नी-निकौनी,	56	12410.16	0.00	12410.16
4	पौधों में पानी पटाना।	56	12410.16	0.00	12410.16
5	दो मलचिंग	20	4432.20	0.00	4432.20
6	ट्रेंच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपण	2	443.22	0.00	443.22
7	पौधों की सुरक्षा।	274	60721.14	0.00	60721.14
8	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	2279.00	2279.00
9	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1108.05	300.00	1408.05
10	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	150.00	150.00
	योग :-	723	160224.03	2729.00	162953.03
(C)	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	दो कोड़नी-निकौनी,	37	8199.57	0.00	8199.57
2	पौधों में पानी पटाना।	56	12410.16	0.00	12410.16
3	दो मलचिंग	20	4432.20	0.00	4432.20
4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	1140.00	1140.00
5	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हेठो क्षेत्रफल तक के लिए।	365	80887.65	0.00	80887.65
6	गड़दा धेरान की मरम्मत	5	1108.05	0.00	1108.05
7	मृत पौधों का बदलाव।	5	1108.05	440.00	1548.05
8	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1108.05	300.00	1408.05
9	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	150.00	150.00
10	साईन बोर्ड का रख-रखाव आदि कार्य।	1	221.61	130.00	351.61
	योग :-	494	109475.34	2160.00	111635.34
(D)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	एक कोड़नी-निकौनी	20	4432.20	0.00	4432.20
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	1000.00	1000.00
3	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हेठो क्षेत्रफल तक के लिए।	365	80887.65	0.00	80887.65
4	गड़दा धेरान की मरम्मत	5	1108.05	0.00	1108.05
5	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1108.05	300.00	1408.05
6	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	150.00	150.00

योग :-	395	87535.95	1450.00	88985.95
--------	-----	----------	---------	----------

(E) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)

1	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हेठो क्षेत्रफल तक के लिए।	365	80887.65	0.00	80887.65
2	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1108.05	300.00	1408.05
3	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	150.00	150.00
4	साईन बोर्ड का रख-रखाव आदि कार्य।	1	221.61	130.00	351.61
	योग :-	371	82217.31	580.00	82797.31

(F) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)

1	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, संकलन एवं प्रकाशन आदि कार्य।	20	4432.20	2459.00	6891.20
	योग :-	20	4432.20	2459.00	6891.20
	सकल योग	2464	5,46,047.04	9,828.00	5,55,875.04

हो/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-598 दिनांक-25/4/16

प्रतिलिपि :-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या -29

रांची-2, दिनांक-25/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो० बजट-42/2010-2371 व०प्य०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं पौधशाला में पौधे उगाने हेतु दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस :- 221.61 रुपये

स्थायी बेडों की संख्या-20

लम्बे पौधे 10" x 16" पॉलीबैग में -10000 (दस हजार)

क्रम	स्थाई नस्ती के दर का क्रमांक	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी ₹० में	साप्तरी ₹० में	कुल व्यय ₹० में
1	2	3	4	6	5	7
स्थायी पौधशाला में 10" x 16" पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु पौधों का लक्ष्य-10,000						

प्रथम वर्ष						
1	-	स्थायी बेडों का निर्माण 12.20 मी० x 1.22 मी० x 0.075 मी० (3")-25 sunken बेड	19	4210.59		4210.59
2	-	हाई डेन्सिटी पॉलीबैग का क्रय-10" x 16" x 60 माइक्रोन साईज का -11,000 बैग (10% अतिरिक्त सहित) परिवहन व्यय सहित	0.00		55000.00	55000.00
3	-	10" x 16" साईज के 11,000 पॉली बैग भराई के लिए मिटटी, बालु एवं गोबर का क्रय (ratio 2:1:1)	0.00		37642.00	37642.00
4		मिटटी, गोबर एवं बालु का मिश्रण तैयार करना, चालना एवं 10" x 16" साईज के 11,000 पॉली बैगों में मिश्रण की भराई	175	38781.75	0.00	38781.75
5		11,000 स्टम्प/पौधा स्थायी पौधशाला से क्रय के लिए (11000 x @5 प्रति)	0.00		55000.00	55000.00
6	-	6000 स्टम्प स्थायी पौधशालाओं से प्राप्त करके स्टम्प बनाने एवं 10" x 16" x 60 माइक्रोन साईज में लगाना एवं पुआल से ढकना।	25	5540.25	1000.00	6540.25

7		25 पॉलीशीट का क्रय— /320/-प्रति पीस	0.00	0.00	8000.00	8000.00
8	—	उर्वरक, रसायन, माइक्रोन्युट्रिएन्स एवं हारमोनों का क्रय	0.00	0.00	0.00	0.00
9	—	कीटनाशक—@0.0005 ltr/ पौधा— कुल 5 लीटर @450/ltr	0.00	0.00	2250.00	2250.00
10	—	Micronutrients & Hormones - LS	0.00	0.00	3000.00	3000.00
11	—	DAP -5 ग्रा०/ पौधा—55 किंग्रा० @1350/- प्रति 50 Kg	0.00	0.00	1485.00	1485.00
12	—	10"×16" साईज के 5000 पॉलीबैगों में transplanting कार्य	25	5540.25	0.00	5540.25
13	—	10"×16" साईज के 11,000 बैगों में transplanted पौधों का पटवन, कोडनी—निकोनी, घास की सफाई आदि तथा डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मती एवं संचालन पर व्यय सहित— माह अप्रैल से मार्च तक	88	19501.68	5000.00	24501.68
14		आकस्मिक कार्य 2%	0.00	0.00	4839.03	4839.03
		योग :-	332	73574.52	173216.03	246790.55
B		द्वितीय वर्ष				
1		अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि	132	29252.52	7500.00	36752.52
2		आकस्मिक कार्य 2%	0.00	0.00	735.05	735.05
		योग :-	132	29252.52	8235.05	37487.57
		कुल	464	102827.04	181451.08	284278.12

नोट:- ट्रॉब भराई हेतु वर्ष 2015-16 को दर में कर्णाकिंत मानव दिवस में स्थायी पौधशाला में कर्णाकिंत दर के आधार पर ट्रॉब आकार अनुसार गणना कर परिवर्तन किया गया है।


ह0/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक—597 दिनांक—25/4/16

प्रतिलिपि— :-

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्हिस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या — २४

रांची—२, दिनांक—२५/५/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०—४/यो० बजट—४२/२०१०—२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त मुख्यमंत्री जन वन योजना हेतु पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना हेतु पौधे उगाने हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६—१७ के लिए लागू होंगे एवं पौधशाला में पौधे उगाने हेतु दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

मुख्यमंत्री जन वन योजना हेतु पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस — २२१.६१ रुपये

स्थायी बेड़ों की संख्या—२०

लम्बे पौधे ६" x १०" पॉलीबैग में —२०,००० (बीस हजार) (२०% अतिरिक्त)

प्रजाति — शीशम, गम्भार, सागवान का रुट-सूट द्वारा

क्रम	स्थाई जरूरी के दर का क्रमांक	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में
१	२	३	४	६	५	७
स्थायी पौधशाला में ६" x १०" पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु पौधों का लक्ष्य—२०,०००						
प्रथम वर्ष						
१	—	स्थायी बेड़ों का निर्माण १२.२० मी० x १.२२ मी० x ०.०७५ मी० (३")—२५ sunken बेड	१९	४२१०.५९	०.००	४२१०.५९
२	—	हाई डेन्सिटी पॉलीबैग का क्रय—६" x १०" २०० गेज साईज का —२४,००० बैग (२०% अतिरिक्त सहित) परिवहन व्यय सहित	०.००	०.००	१७५००.००	१७५००.००
३	—	६" x १०" साईज के २४,००० पॉली बैग भराई के लिए मिटटी, बालू एवं गोबर का क्रय (ratio २:१:१)	०.००	०.००	१८३७४.००	१८३७४.००
४		मिटटी, गोबर एवं बालू का मिश्रण तैयार करना, चालना एवं ६" x १०" साईज के २४,००० पॉली बैगों में मिश्रण की भराई	१५०	३३२४१.५०	०.००	३३२४१.५०
५		२४,००० स्टम्प/पौधा स्थायी पौधशाला से क्रय के लिए (२४००0 x @५ प्रति)	०.००	०.००	१२००००.००	१२००००.००

6	—	24000 स्टम्प स्थाई पौधशालाओं से प्राप्त करके स्टाप्प बनाने एवं 6"x10" 200 गेज साइज में लगाना एवं पुआल से ढकना।	100	22161.00	4000.00	26161.00
7		25 पॉलीशीट का क्रय— /320/-प्रति पीस	0.00	0.00	8000.00	8000.00
8	—	उर्वरक, कीटनाशक, माइक्रोन्युट्रिएन्स एवं हारमोनों का क्रय :—	0.00	0.00	0.00	0.00
(i)	—	कीटनाशक—@0.0005 ltr/ पौधा— कुल 7.5 लीटर @450/ltr	0.00	0.00	3375.00	3375.00
(ii)	—	Micronutrients & Hormones - LS	0.00	0.00	3000.00	3000.00
(iii)	—	DAP -3 ग्रा०/पौधा—75 कि०ग्रा० @1350/ प्रति 50 Kg	0.00	0.00	2025.00	2025.00
9	—	6"x10" 200 गेज साइज के 24,000 बैगों में transplanted पौधों का पटवन, कोडनी—निकोनी, घास की सफाई आदि तथा डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मती एवं संचालन पर व्यय सहित— माह 15 अप्रैल से जुलाई तक	132	29252.52	5000.00	34252.52
10		आकस्मिक कार्य 2%	0.00	0.00	5402.79	5402.79
		योग :—	401	88865.61	186676.79	275542.40

हो/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

प्रतिलिपि— :-

ज्ञापांक— 596 दिनांक— २५/४/१६

- प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक
- सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/4/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या – ३।

रांची-२, दिनांक-२५/४/१६

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-४/यो० बजट-४२/२०१०-२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक ०६.०४.२०१६ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए लागू होंगे एवं लाह उत्पादन हेतु दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषि को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर लाह-पोषक प्रजाति कुसुम की वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लामुक परिवार, कुल 1250 लामुक परिवार)

(रु. लाख में)

क्र0 सं	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	जम्मुकित
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रु. 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लामुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिह्नांकन किया जाएगा जिसे लौन सेट-1 में बीहन जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 के सामायिकों द्वारा पूर्ण से ही कटाई छाटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) वर्षाकाल वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छाटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में INRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्वतेशक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में मार्गीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सपाह का प्रशिक्षण	2000 रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	प्रतीय प्राकृतिक राल एवं शोष संस्थान, नामकुम, राँची (INRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की जावस्ता की जाएगी।
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु. 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट-1 के सामायिकों द्वारा कटाई छाटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) वर्षाकाल वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों की कटाई छाटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों की कटाई छाटाई एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तीसीं वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण।
4	वृक्षों की कटाई-छाटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662					0.000	3.878	
5	बीहन लाह का क्रय	4-6 किलो ग्राम प्रति वृक्ष, रु. 200.00 प्रति किलोग्रा.	3750 वृक्ष		45.000		45.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				0.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				0.000	45.000	बीहन लाह का क्रय नियमित के नाम्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 ग्राम दिन प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5.540	क्रय किए गए बीहन लाह से प्रथम वर्ष के जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के पूर्ण से तापायी

कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय				
7 फसल संरक्षण पर व्यय	60 रुपति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000	3750 वृक्ष		2.250		2.250	7.500			
8 कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाख क परिवार @ 6000रु			7.500		7.500						0.000					0.000	7.500		
9 फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.332			0.332	5000 वृक्ष	0.443			0.443	3750 वृक्ष	0.332				0.332	1.108		
10 तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का सात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250			0.250	0.750		
11 लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500			
12 CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880				2.880	7.200		
13 अन्य आकर्षिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्ती, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.000	0.500		0.500			0.500		0.500				0.500	1.500			
कुल योग-				6.282	58.719	0.510	65.512		7.801	4.750	0.250	12.801		5.474	4.000	0.250	9.724	88.037		
14 Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)					1.310		1.310			0.256		0.256			0.194		0.194	1.761		
सकल योग-				6.282	60.029	0.510	66.822		7.801	5.006	0.250	13.057		5.474	4.194	0.250	9.919	89.797		

नोट : बत्त्यान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर अम नियोजन एवं प्रशिक्षण विमान द्वारा निर्धारित न्यनता मजदूरी दर 221.61 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास,
आरखण्ड, रांची


प्रतिलिपि— :-

ज्ञापांक- ५७९

दिनांक- २५/५/१६

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालयः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या —32

रांची—2, दिनांक—25/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0—4/यो0
बजट—42/2010—2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण
के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय
दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन
(JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना हेतु
अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड,
रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने
वाली रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप
द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू
होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए लागू होंगे एवं लाह उत्पादन
हेतु दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।



रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका


वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कार्यान्वित की जाने वाली रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना वाले कार्य दर लाह पौधक प्रजाति पलाश के बूसों की संख्या-12500 प्रति प्रमाण्डल (10 बूस प्रति लामुक परिवार कुल 1250 लामुक परिवार)

(वर्ष विवरण)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकारात्मक गोपनीय	प्रायुक्तिका	
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	परिवार	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	परिवार	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	परिवार	कुल व्यय			
1	बूसों का निर्धारण	रु० 2.65 प्रति बूस	12500 बूस	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लामुक परिवार 10 पलाश के बूसों का जिन-हाइन फिला जाएगा जिसे 5-5 बूसों के दो सेट में बिटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के बूसों की कटाई-छाराई करवाई/जावे गाड में की जाएगी।	
2	प्रशिक्षण																			
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को सम्हूँ में INRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750		
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संत्थान, नामकुम, रंची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणवार्षि				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260		
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 बूसों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष करवाई/जावे में सेट-1 के 8250 बूसों की कटाई-छाराई (60 बूस प्रति 10 लामुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के बूसों की कटाई-छाराई की जाएगी।	
4	बूसों की कटाई-छाराई	1 मानव दिवस प्रति 5 बूस	6250 बूस	2.770			2.770	6250 बूस	2.770			2.770					0.000	5.540		
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 किलोग्राम प्रति बूस; रु० 200.00 प्रति किलोग्राम					0.000	6250 बूस		12.500		12.500	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 बूस				0.000	12.500	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।	
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 बूस					0.000	6250 बूस	0.693			0.693	6250 बूस	0.693			0.693	1.385	अप क्रिए ग्रे बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अन्तर्वर/वर्तव जावे में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के बूसों पर किया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष के अन्तर्वर/वर्तव जावे में सेट-2 के बूसों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट-1 के बूसों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।	
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति बूस (सौंदर्यात्मक इलावा)					0.000	6250 बूस		1.875		1.875	6250 बूस		1.875	1.875	3.750			

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2018-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	अमूलित
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
8	कीटनाश छिकाव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाख परिवर्त @ 6000/-							7.500			7.500					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 रुपये				0.000	6250 रुपये	0.554				0.554	6250 रुपये	0.554			0.554	1.108	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.250		0.250			0.250			0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक (2) Rs. 5000/- पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000/- प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रससी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल योग-			4.841	3.969	0.510	9.320		7.497	23.625	0.250	31.372		4.727	3.625	0.250	8.602	49.293	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	.@ 2 % of Project cost			0.186		0.186			0.627		0.627			0.172		0.172	0.986	
	सकल योग-			4.841	4.155	0.510	9.507		7.497	24.252	0.250	31.999		4.727	3.797	0.250	8.774	50.279	

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर ब्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 221.61 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राकलन तैयार किया जाएगा।


23/9/2018
आपर प्रधान नुस्खे वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- 600

दिनांक- 25/4/16

प्रतिलिपि- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची